ऐक्सिस बैंक मील कार्ड का नियमन करने वाले नियम और शर्तें

(महत्वपूर्ण) - सुनिश्चित करें कि ऐक्सिस बैंक मील कार्ड का उपयोग करने से पहले आपने मील कार्ड के इन नियमों और शर्तों को ध्यान से पढ़ लिया है. मील कार्ड का उपयोग करके आप बिनाशर्त इसके अंतर्गत सूचीबद्ध नियमों और शर्तों को स्वीकार कर रहे हैं और उनके द्वारा बाध्य होंगे और आप भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) के प्रासंगिक विनियमों और समय-समय पर यथा संशोधित / परिवर्तित / लागूऔर प्रभावी किन्हीं अन्य संगत अधिनियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने का दायित्व स्वीकार करते हैं. आप ऐक्सिस बैंक के साथ अपने मील कार्ड के नियमों और शर्तों से भी बंधे रहेंगे.

परिभाषाएँ

1. "कार्ड" या "मील कार्ड"**,** ऐक्सिस बैंक द्वाराकार्डधारक को जारी ऐक्सिस बैंक वीज़ा / मास्टरकार्ड / रुपे सेमी क्लोज्ड लूप घरेलू मील कार्ड को संदर्भित करता है.

2. "बैंक" से आशय ऐक्सिस बैंक लिमिटेड और उसके उत्तराधिकारियों और समानुदेशितों से है.

3. "कार्डधारक"**,** "आप"**,** "आपका"**,** "उसे" या इसी तरह के सर्वनाम**,** जहां संदर्भ इस तरह स्वीकार करता है**,** ऐक्सिस बैंक के ग्राहक को संदर्भित करता है**,** जिसे ऐक्सिस बैंक मील कार्ड जारी किया गया है. एक लिंग में कार्डधारक के सभी संदर्भों में अन्य लिंग भी शामिल होंगे.

4. "एटीएम"**,** भारत में ऐक्सिस बैंक के ऑटोमेटेड टेलर मशीन को संदर्भित करता है**,** जिस पर, कार्डधारक ऐक्सिस बैंक के साथ रखे गए अपने मील कार्ड पर शेषराशि पूछताछ, खाता विवरण और पिन में परिवर्तन के लिए अपने मील कार्ड का उपयोग कर सकता है.

5. "पिन" से आशय ऐक्सिस बैंक द्वारा कार्डधारक को आवंटित, समय-समय पर उसके द्वारा चुनी गई व्यक्तिगत पहचान संख्या (एटीएम तक पहुंच के लिए आवश्यक) से है.

6. "लेनदेन" से आशय मील कार्ड पर कार्रवाई संपन्न करने के लिए ऐक्सिस बैंक कोसीधे या अप्रत्यक्ष रूप सेअपने कार्ड का प्रयोग करके कार्डधारक द्वारा दिए गए किसी भी निर्देश से है. (लेनदेन के उदाहरण खुदरा खरीद**,** नकद निकासी, आदि हो सकते हैं.)

7. 'व्या्पारी' या 'व्यापारी प्रतिष्ठान' से आशय कहीं भी स्थित ऐसे प्रतिष्ठानों से है जो कार्ड स्वीकार करते / लेते हैं और इसमें अन्य के साथ-साथ ऐक्सिस बैंक या वीज़ा कार्ड इंटरनेशनल या नेशनल पेमेंट कार्पोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआई) या मास्टर कार्ड द्वारा विज्ञापित: स्टोर शॉप्स**,** रेस्तरां**,** आदि शामिल हैं.

8. "ईडीसी" या "इलेक्ट्रॉनिक डेटा कैप्चर" इलेक्ट्रॉनिक प्वाइंट-ऑफ-सेल स्वाइप टर्मिनलों को संदर्भित करता है, चाहे साझा नेटवर्क पर ऐक्सिस बैंक का हो या किसी अन्य बैंक का हो, जो व्यापारी प्रतिष्ठानों से खरीद लेनदेन के लिए कार्ड खाता डेबिट करने की अनुमति देता है.

9. "वीज़ा कार्ड" से आशय वीजा कार्ड के स्वामित्वाधीन और आमतौर पर वीज़ा कार्ड से संबद्ध ट्रेडमार्क से है.

10. 'रूपे' से आशय नेशनल पेमेंट कार्पोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीएल) के स्वामित्वाधीन ट्रेडमार्क से है.

11. 'मास्टरकार्ड' से आशय मास्टरकार्ड के स्वामित्वाधीन ट्रेडमार्क से है.

12. 'नियोक्ता' उस संगठन को संदर्भित करता है जिसमें कार्डधारक नियोजित है.

मील कार्ड ("कार्ड") ऐक्सिस बैंक लिमिटेड, ("ऐक्सिस बैंक लिमिटेड"), जिसका पंजीकृत कार्यालय 'त्रिशूल' तृतिय तल, समर्थेश्वर मंदिर के सामने, लॉ गार्डन के निकट, एलिसब्रिज, अहमदाबाद - 380006 में है, द्वारा निम्नलिखित नियमों और शर्तों पर जारी किया जाता है:

कार्ड की वैधता और कार्डधारक के दायित्व

1. मील कार्ड का निर्गमन और उपयोग भारतीय रिजर्व बैंक, ऐक्सिस बैंकऔर भारत के आयकर विभाग द्वारा जारीसमय-समय पर लागू नियमों और विनियमों के अधीन होगा

2. मील कार्ड के माध्यम से संवितरित मील कार्ड भत्ता भारतीय आयकर अधिनियम, **1961** की धारा **115**डब्ल्युबी की शर्तों द्वारा नियंत्रितत है. वित्त विधेयक **2008,** अध्याय **III,** धारा **22** के अनुसार, मील कार्ड पर भत्ता केवल खाने के लिए तैयार भोजन और पेय पदार्थों की खरीद के लिए खर्च कियाजा सकता है. कार्ड का कोई भी दुरुपयोग बैंक पर बाध्यकारी नहीं होगा और बैंक इसके लिए उत्तरदायी नहीं होगा.

3. यह कार्ड केवल खाने के लिए तैयार सामग्रियाँ, भोजन और पेय पदार्थ बेचने वाले व्यापारी प्रतिष्ठानों पर वीज़ा / मास्टरकार्ड / रुपे सक्षम कार्ड इलेक्ट्रॉनिक प्वाइंट-ऑफ-सेल स्वाइप बैंक टर्मिनलों के लिए मान्य होगा.

4. यह कार्ड हर समय ऐक्सिस बैंक की संपत्ति है और होगा और ऐक्सिस बैंक के अनुरोध पर बिना शर्त और तत्काल ऐक्सिस बैंक को वापस लौटा दिया जाएगा.कार्डधारक से यह सुनिश्चित करने का अनुरोध किया जाता है कि कार्ड सौंपने से पहले बैंक के अधिकारी की पहचान स्थापित की जानी चाहिए.

5. मील कार्ड किसी भी परिस्थिति में कार्डधारक द्वारा हस्तांतरणीय या समानुदेशन योग्य नहीं है.

6. केवल शेष राशि पूछताछ और विवरण जाँच के लिए मील कार्ड के साथ इंटरनेट बैंकिग पहुँच प्रदान की जाती है. इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से सभी प्रकार की फंड अंतरण सुविधाएं अवरूद्ध हैं.

7. प्राप्त होने पर आपको तुरंत कार्ड पर हस्ताक्षर करना चाहिए. आपको किसी अन्य व्यक्ति को इसका उपयोग करने की अनुमति नहीं देनी चाहिए और हर समय अपने व्यक्तिगत नियंत्रण में कार्ड रखकर दुरुपयोग से कार्ड की रक्षा करनी चाहिए.

8. कार्ड के साथ उपयोग के लिए कार्डधारक को जारी की गई व्यक्तिगत पहचान संख्या (पिन) या पिन के रूप में कार्डधारक द्वारा चुनी गई कोई भी संख्या केवल कार्डधारक को ही ज्ञात होगी और कार्डधारक के व्यक्तिगत उपयोग के लिए होगी, यहअहस्तांतरणीय और कठोरता से गोपनीय होगी. पिन संख्या का लिखित रिकॉर्ड किसी भी रूप, स्थान या ढंग से नहीं रखा जाना चाहिए जिससे तृतिय पक्षद्वारा इसका उपयोग सुविधाजनक हो सकता है. किसी भी परिस्थिति में या किसी भी माध्यम से, चाहे स्वैच्छिक हो या अन्यथा, किसी तृतिय पक्ष से या बैंक के कर्मचारियों से या व्यापारिक प्रतिष्ठानों से पिन का खुलासा नहीं किया जाना चाहिए.

ऐसे मामलों में जहां ई-मेल के माध्यम से कार्डधारक को डुप्लिकेट इंटरनेट बैंकिंग पिन भेजा जाता है, कार्डधारक को पहली बार इंटरनेट बैंकिंग में प्रवेश करने के समय पिन बदल देना चाहिए. कार्डधारक को मेल भी हटा देना चाहिए और किसी भी तृतिय पक्ष से पिन का खुलासा नहीं करना चाहिए.यदि कार्डधारक द्वारा अन्य लोगों से पिन का भेद प्रकट किया है, तो बैंक किसी तृतिय व्यक्ति / पक्ष के कार्यों के लिए ज़िम्मेदार नहीं होगा.

9. कार्ड के उपयोग द्वारा संपन्न किसी भी लेनदेन की राशि से कार्ड तुरंत डेबिट कर दिया जाएगा. कार्डधारक कोई भी ऐसा लेनदेन पूरा करने के लिए अपने मील कार्ड में पर्याप्त धनराशि बनाए रखेगा.

10. कार्डधारक मील कार्ड शेष राशि से अधिक धन निकासी का हकदार नहीं होगा.

11. कार्डधारक कार्ड के उपयोग द्वारा संपन्न लेनदेनों के लिए उत्तरदायी होगा, और इस समझौते की समाप्ति के बावजूद समाप्ति के समय भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों या भारत में लागू किसी भी अन्य कानून के किसी भी उल्लंघन के कारण उत्पन्न होने वाली किसी भी दाण्डिक कार्रवाई सहित हुई किसी भी हानि या क्षति के विरूद्ध ऐक्सिस बैंक की क्षतिपूर्ति करेगा.

12. आपसे यह ध्यान देने का अनुरोध किया जाता है कि मील कार्ड दर्शाए गए माह / वर्ष के अंतिम दिन तक वैध है. कार्ड की समय सीमा समाप्त हो जाने पर आपको अपने नियोक्ता के माध्यम से कार्ड के नवीकरण के लिए आवेदन करना होगा.

13. कार्ड में कोई भी मूल्य जिसका जारी करने की तिथि से 10 वर्षों के भीतर उपयोग या आहरण नहीं किया गया है, डिपोजिटर एजूकेशन एंड अवेयरनेस फंड में अंतरित हो जाएगा. बैंक सेवाओं के उपयोग के

लिए ग्राहक द्वारा दिए गए मोबाइल नंबर पर एसएमएस द्वारा या ईमेल आईडी पर ईमेल द्वारा प्रीपेड भुगतान खाते में बकाया राशि की किसी भी जब्ती से पहले 45 दिनों की अग्रिम सूचना भेजेगा.

14. कार्डधारक को प्रीपेड भुगतान खाते में बकाया शेषराशि का मोचन करने की अनुमति होगी, यदि किसी भी कारण से योजना का समापन किया जा रहा है या आरबीआई द्वारा बंद करने का निर्देश दिया जाता है.

15. कार्डधारक द्वारा क्रिप्टो करेंसी की खरीद के लिए कार्ड का उपयोग नहीं किया जाएगा.

16. कार्डधारक को कार्ड से नकदी निकालने या धन हस्तांतरण की अनुमति नहीं है

कार्ड शेष और समाप्ति

1. कार्ड जारी करने की तिथि से 5 (पाँच) वर्षों की अवधि तक वैध है.

2. कार्ड स्मार्ट पे कार्ड पर समाप्ति तिथि में दर्शाए गए माह के अंतिम दिन तक वैध है.

3. कार्ड की समाप्ति की तिथि पर या के बाद किसी भी बकाया राशि की धारक द्वारा खरीदे गए बैंक के ऐसे ही एक नए भुगतान विलेख में अंतरण की अनुमति होगी.

4. आपके कार्ड में अधिकतम बकाया शेषराशि किसी भी समय बिंदु पर रू. 10,000 से अधिक नहीं हो सकती है.

व्यापारी प्रतिष्ठान उपयोग

1.कार्ड वीज़ा / मास्टरकार्ड / रुपे लोगो प्रदर्शित करने वाले भारत में व्यापारी प्रतिष्ठान पर सभी इलेक्ट्रॉनिक प्वाइंट-ऑफ-सेल टर्मिनल पर स्वीकार किया जाता है जो खाने के लिए तैयार भोजन और पेय पदार्थ बेचते हैं.

2. यह कार्ड केवल इलेक्ट्रॉनिक उपयोग हेतु है और केवल इलेक्ट्रॉनिक प्वाइंट-ऑफ-सेल स्वाइप टर्मिनल रखने वाले व्यापारी प्रतिष्ठानों पर ही स्वीकार किया जाएगा. इलेक्ट्रॉनिक उपयोग से भिन्न कार्ड का कोई भी उपयोग अनधिकृत माना जाएगा और कार्डधारक इस तरह के लेनदेन के लिए पूरी तरह उत्तरदायी होगा.

3. जब भी व्यापारी प्रतिष्ठानों पर कार्ड का उपयोग किया जाता है तो आपको चार्ज स्लिप पर हस्ताक्षर करना चाहिए और चार्ज स्लिप की अपनी प्रति बनाए रखनी चाहिए. व्यक्तिगत रूप से आपके द्वारा हस्ताक्षरित नहीं, लेकिन जिसे आपके द्वारा अधिकृत होना सिद्ध किया जा सकता है, ऐसी कोई भी चार्ज स्लिप आपका दायित्व माना जाएगा.

4. मील कार्ड भारत में खाने के लिए तैयार सामग्रियाँ, भोजन और पेय पदार्थ बेचने वाले, किसी भी वीज़ा / मास्टरकार्ड / रुपे व्यापारी प्रतिष्ठान पर स्वीकार किया जाता है. ऐक्सिस बैंक ऐसे किसी भी लेनदेनकी जिम्मेदारी स्वीकार नहीं करेगा जो व्यापारी आपके साथ कर सकता है, जिसमें इस तरह लाभ ली गई या प्रस्ताव की गई वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति शामिल है. यदि आपकी किसी भी वीज़ा / मास्टरकार्ड / रुपे व्यापारी प्रतिष्ठान से संबंधित कोई भी शिकायत है, तो आपको मामला व्यापारी प्रतिष्ठान के साथ सुलझाना चाहिए और ऐसा करने में विफलता आपको बैंक के प्रति किसी भी दायित्व से मुक्ति नहीं देगी.

5. ऐक्सिस बैंक लेनदेन के मूल्य / कीमत के अतिरिक्त किसी भी व्यापारी प्रतिष्ठान द्वारा लगाए गए और लेनदेन की राशि के साथ आपके कार्ड खाते से डेबिट किए गए किन्हीं भी शुल्कोंकी कोई ज़िम्मेदारी स्वीकार नहीं करता है.

6. खरीद और वस्तुओं / सेवाओं के निरस्तीकरण के लिए बाद में क्रेडिट दो अलग-अलग लेनदेन हैं. व्यापारी से प्राप्त होने पर ही धनवापसी केवल आपके कार्ड खाते (निरस्तीकरण शुल्क घटाकर) में जमा की जाएगी. यदि धनवापसी के दिन से 30 दिनों के भीतर क्रेडिट आपके कार्ड खाते में चढ़ाया जाता है, तो आपको व्यापारी से क्रेडिट नोट की एक प्रति के साथ ऐक्सिस बैंक को सूचित करना चाहिए.

7. व्यापारी श्रेणियों से भिन्न किन्हीं अन्य व्यापारी श्रेणियों पर कार्ड काउपयोग नहीं किया जाना चाहिए. कृपया ध्यान दें कि खाद्य और पेय पदार्थ के व्यापारी केन्द्र के अलावा अन्य सभी लेनदेन ब्लाक हैं.

8. कार्ड का उपयोग केवल खाने के लिए तैयार सामग्रियाँ, भोजन और पेय पदार्थ खरीदने के लिए किया जाना चाहिए. इन सामग्रियों से भिन्न किन्हीं अन्य सामग्रियों की खरीद के लिए कार्ड का उपयोग अवैध माना जाएगा क्योंकि इस कार्ड पर कर-मुक्त भत्ता आयकर अधिनियम की धारा 115डब्ल्युबी के अधीन नियमों द्वारा नियंत्रित होता है.

एटीएम उपयोग

सभी ऐक्सिस बैंक एटीएम पर कार्ड का उपयोग अवरुद्ध कर दिया गया है.

शुल्क

1. ऐक्सिस बैंक कार्डधारक को एक महीने की पूर्व सूचना देकर शुल्क लगाने का अधिकार सुरक्षित रखता है. ऐसा, यदि कोई है, और इस तरह लगाया गया शुल्कऐक्सिस बैंक की प्रचलित दर परकार्डधारक की

स्वीकृति / नवीनीकरण पर आपके कार्ड से डेबिट किया जाएगा. ये शुल्क वापसी योग्य नहींहैं. अन्य सेवाओं के लिए शुल्क इसी तरह प्रचलित दरों पर लगाए जाएँगे.

2. आप किसी भी अवैध खरीद यानी वर्तमान नियमों के अनुसार आरबीआई / आईटी विभाग द्वारा अनुमत नहीं वस्तुओं / सेवाओं की खरीद के लिए भुगतान करने के लिए कार्ड का उपयोग नहीं कर सकते हैं.

3. शेष राशि पूछताछ और / या जहां भी लागू हो,के लिए लेनदेन शुल्क शेष राशि पूछताछ या जहां भी लागू हो, खाते मे चढ़ाने के समय कार्ड खाते से डेबिट किया जाएगा.

4. मील कार्ड के उपयोग पर लागू प्रभार / शुल्क कार्डधारक (कार्डधारकों) को पूर्व सूचना दिए बिना समय-समय पर ऐक्सिस बैंक द्वारा संशोधित / परिवर्तित किए जा सकते हैं.

मील कार्ड की विशेषताएँ

बैंक समय-समय पर अपने विवेक से आपके मील कार्ड पर विभिन्न सुविधाएँ प्रदान करने के लिए विभिन्न एजेंसियों के साथ समझौता कर सकता है. ये सभी सुविधाएँ केवल सर्वोत्तम प्रयास के आधार पर होंगी, और बैंक किन्हीं भी सेवा प्रदाताओं / व्यापारियों / आउटलेटों / एजेंसियों द्वारा प्रदान किए जाने वाले किन्हीं भी उत्पादों या सेवाओं की प्रभावकारिता, दक्षता, उपयोगिता की गारंटी या वारंटी नहीं देता है. विवाद (यदि कोई है)बैंक को शामिल किए बिना सीधे व्यापारी / एजेंसी आदि से उठाना होगा.

सूचना का प्रकटीकरण

1. ऐक्सिस बैंक द्वारा अनुरोध किए जाने पर, आप ऐसे किसी भी मामले से संबंधित कोई भी जानकारी, रिकॉर्ड या प्रमाण पत्र उपलब्ध कराएँगे जिन्हें ऐक्सिस बैंक आवश्यक मानता है. आप ऐक्सिस बैंक को आवश्यक माने गए चाहे जिस भी माध्यम से या चाहे जिस भी स्रोत से प्रदान की गई जानकारी की सत्यता सत्यापित करने के लिए भी अधिकृत करेंगे. यदि डेटा प्रदान नहीं किया जाता है या गलत है, तो ऐक्सिस बैंक अपने विवेक से कार्ड नवीकृत करने से मना कर सकता है या कार्ड तत्काल रद्द कर सकता है.

2. ऐक्सिस बैंकसक्षम अधिकार क्षेत्र वाले किसी भी न्यायालय, अर्ध-न्यायिक प्राधिकरण, कानून प्रवर्तन एजेंसियों और केंद्र सरकार या राज्य सरकार की किसी भी अन्य शाखा से ग्राहक जानकारी का खुलासा करने का अधिकार सुरक्षित रखता है.

3. ऐक्सिस बैंक कार्ड से संबंधित ऐसी जानकारी अन्य संस्थानों से, सख्ती से गोपनीयता के साथ, खुलासा करने का अधिकार सुरक्षित रखता है जैसा कि किसी भी इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर नेटवर्क में इसकी भागीदारी के संबंध में आवश्यक या उचित हो सकता है.

खो या चोरी हो गया कार्ड

1. मील कार्ड का खोना या चोरी होना तुरंत ऐक्सिस बैंक को सूचित किया जाना चाहिए. यद्यपि 24 घंटे आपातकालीन संपर्क संख्या के माध्यम से खोने या चोरी होने की सूचना दी जा सकती है, लेकिन आपको जितनी जल्दी हो सके ऐक्सिस बैंक से लिखित में इसकी पुष्टि करनी चाहिए. स्वीकृत पॉलिसी शिकायत की प्रति उक्त लिखित पुष्टि के साथ अवश्य होनी चाहिए.

3. ऐसी स्थिति में कि कार्ड खो गया है और ऐक्सिस बैंक को सूचित नहीं किया गया है, या ऐक्सिस बैंक को सूचित किए जाने से पहले खो गया और दुरुपयोग किया गया है,तो एतद्द्वारा आप ऐक्सिस बैंक की किसी भी दायित्व (नागरिक या आपराधिक), हानि, लागत, व्ययों या क्षतियों के विरूद्ध पूरी तरह क्षतिपूर्ति करेंगे जो कार्ड के खाने या दुरुपयोग के कारण उत्पन्न हो सकते हैं.

4. बशर्ते कि आपने सभी मामलों में नियमों और शर्तों का अनुपालन किया है, लागू शुल्क पर ऐक्सिस बैंक के एकमात्र विवेक से प्रतिस्थापन कार्ड जारी किया जा सकता है.

5. यदि आपको बाद में कार्ड पुनर्प्राप्त होता है, तो इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है. चुंबकीय पट्टी के आर-पार कई टुकड़ों में काटकर कार्ड नष्ट कर दें.

विवरण और रिकॉर्ड

1. कार्डधारक इंटरनेट बैंकिंग और फोन बैंकिंग सुविधा का उपयोग करके किसी भी समय अपने लेनदेन का विवरण प्राप्त कर सकता है.

2. कार्ड के उपयोग से संसाधित लेनदेनों का ऐक्सिस बैंक का रिकॉर्ड सभी उद्देश्यों के लिए निर्णायक और बाध्यकारी होगा.

विवाद

1. खरीद लेनदेन के मामले में, कार्डधारक के हस्ताक्षर वाली चार्ज स्लिप उस पर दर्ज किए गए कार्ड नंबर के साथ कार्डधारक द्वारा वहन की गई दायित्व की सीमा तक ऐक्सिस बैंक और कार्डधारक के बीच

निर्णायक साक्ष्य होगी और ऐक्सिस बैंक के लिए यह सुनिश्चित करना आवश्यक नहीं होगा कि कार्डधारक ने खरीदी गई / लाभ ली गई वस्तुएं प्राप्त की हैंया प्राइप्त की गई सेवाकार्डधारक केलिए संतोषजनक है.

2. बैंक असहमति की सूचना की प्राप्ति के दो महीनों के भीतर खाता विवरण में दर्शाए गए लागू शुल्क के साथ पीड़ित कार्डधारक की असहमति हल करने का या जैसा कि ग्राहक द्वारा अन्यथा निर्धारित किया जाता है,निष्कपट और उचित प्रयास करेगा. यदि ऐसे प्रयास के बाद, बैंक निर्धारित करता है कि शुल्क सही है तो वह कार्डधारक को इसकी सूचना देगा.

3. बैंक किसी भी प्रतिष्ठान द्वारा कार्ड स्वीकार करने से मना करने पर कोई ज़िम्मेदारी स्वीकार नहीं करता है.

4. यह समझौता भारत के कानूनों के अनुसार अर्थान्वित किया जाएगा और द्वारा नियंत्रित होगा. इस बात से निरपेक्ष कि इस मामले में किसी अन्य न्यायालय का समवर्ती क्षेत्राधिकार हो सकता है, सभी विवाद मुंबई, भारत के न्यायालयों के अनन्य क्षेत्राधिकार के अधीन हैं.

5. कार्डधारक देय राशि के संग्रहण, कानूनी खर्चों (यदि मामला किसी एजेंट को संदर्भित करना जरूरी हो जाता है) से जुड़े, या जहां विवाद के समाधान में कानूनी संसाधनों का उपयोग किया गया है, सभी लागतों के लिए उत्तरदायी होगा.

सामान्य

1. आप अपने रोजगार और / या कार्यालय और / या आवासीय पते और टेलीफोन नंबरों में होने वाले किसी भी परिवर्तन की ऐक्सिस बैंक को तुरंत लिखित में सूचना देंगे.

2. ऐक्सिस बैंक कार्डधारक को नोटिस देकर किन्हीं भी नियमों और शर्तों, नीतियों, सुविधाओं और लाभों को जोड़ने, हटाने या बदलने का अधिकार सुरक्षित रखता है. इनमें से किसी भी परिवर्तन के प्रभावी होने की तिथि के बाद मील कार्ड का उपयोग कार्डधारक द्वारा इस तरह के प्रभारों के आरक्षण के बिनास्वीकृति का साक्ष्य माना जाएगा.

3. इसके अंतर्गत डाक द्वारा भेजा गया कोई भी नोटिस कार्डधारक द्वारा लिखित में ऐक्सिस बैंक को आखिर में दिए गए पते पर सूचना डाक से भजेजने से **7** दिनों के भीतर कार्डधारक द्वारा प्राप्त किया गया माना जाएगा. ऐसे तरीकों से परिवर्तनों का प्रकाशन जैसा कि ऐक्सिस बैंक उचित मान सकता है, कार्डधारक को इसकी प्रभावी सूचना का गठन करेगा.

4. यदि कार्डधारक ने, कार्ड का उपयोग करके, कार्ड पर उपलब्ध शेषराशि या ऐक्सिस बैंक द्वारा अनुमत ओवरड्राफ्ट सीमा से अधिक राशि आहरित की है, तो कार्डधारक ऐक्सिस बैंक द्वारा तय की जाने वाली

दर पर ब्याज और अर्थदंड, यदि कोई हो, के साथ आहरित की गई समस्त अधिक राशिका बिना किसी शर्त के ऐक्सिस बैंक को भुगतान करेगा. हालांकि इसे समझौता नहीं माना जाना चाहिए, या तो व्यक्त या विवक्षित कि ऐक्सिस बैंक कोई भी ओवरड्राफ्ट सुविधा, चाहे जो भी हो, प्रदान करने के लिए बाध्य है.

5. ऐक्सिस बैंक कार्डधारकों को छूट जैसे लाभ प्रदान करने वाले तृतीय पक्षों द्वारा प्रदान की जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं की गुणवत्ता के संबंध में कोई अभ्यावेदन नहीं करता है. यदि सेवा किसी भी तरह से हीन या अन्यथा असंतोषजनक है तो ऐक्सिस बैंक ज़िम्मेदार नहीं होगा.

शिकायतें अनधिकृत लेनदेन और ग्राहक शिकायतें

किसी भी अनधिकृत लेनदेन के लिए बैंक या ग्राहक का उत्तरदायित्व होगा :
1. ग्राहक का शून्य उत्तरदायित्व - शून्य उत्तरदायित्व का ग्राहक का अधिकार वहाँ उत्पन्न होगा जहाँ अनधिकृत लेनदेन निम्नलिखिततरीके से होता है :

(ए) बैंक की ओर से अंशदायी धोखाधड़ी / लापरवाही / कमी (चाहे ग्राहक द्वारा लेनदेन की सूचना दी गई हो या नहीं इस बात से निरपेक्ष)
(बी) तृतिय पक्ष का उल्लंघन जहाँ कमी न तो बैंक में और न ही ग्राहक में निहित है, बल्कि कहीं और प्रणाली में निहित है, और ग्राहक अनधिकृत लेनदेन के संबंध में बैंक से सूचना प्राप्त होने के तीन कार्य दिवसों के भीतर बैंक को सूचित करता है.

2. ग्राहक का सीमित उत्तरदायित्व - ग्राहक निम्नलिखित मामलों में अनधिकृत लेनदेनके कारण होने वाली हानि के लिए उत्तरदायी होगा :

(ए) ऐसे मामलों में जहाँहानि ग्राहक द्वारा लापरवाही के कारण होती है, जैसे कि जहाँ उसने भुगतान प्रत्यायक साझा किए हैं, ग्राहक बैंक को अनधिकृत लेनदेन की सूचना दिए जाने तक पूरी हानि उठाएगा. अनधिकृत लेनदेन की सूचना देने के बाद होने वाली कोई भी हानि बैंक द्वारा वहन की जाएगी.

(बी) ऐसे मामलों में जहाँ अनधिकृत इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग लेनदेन की ज़िम्मेदारी न तो बैंक में और न ही ग्राहक में निहित है, बल्कि कहीं और प्रणाली में निहित है और इस तरह का लेनदेन बैंक को सूचित करने में ग्राहक की ओर से देरी (बैंक से सूचना प्राप्त होने के चार से सात कार्य दिवसों की) होने पर, ग्राहक का प्रति लेनदेन उत्तरदायित्व लेनदेन मूल्य या रू. 10,000/-,जो भी कम हो, तक ही सीमित होगा.

3. यदि ग्राहक अनधिकृत लेनदेन के संबंध में बैंक से सूचना प्राप्त होने के सात कार्य दिवसों के बाद बैंक को सूचित करता है, तो ग्राहक का उत्तरदायित्व बैंक के बोर्ड की अनुमोदित नीति के अनुसार निर्धारित किया जाएगा. बैंक बैंक के बोर्ड की अनुमोदित नीति के अनुसार इसका मूल्याँकन और निर्धारण करेगा

सहायता के लिए www.axisbank.com/support पर पधारें

वृद्धि विवरण के लिए, ऐक्सिस बैंक की वेबसाइट (www.axisbank.com) पर जाएँ और बैंक की शिकायत निवारण नीति देखें. आप हमारे ग्राहक सेवा दूरभाष संख्या 022-67987777 के साथ भी संपर्क में रह सकते हैं।

4. यहाँ दिए गए नियमों और शर्तों के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक या वृत्तचित्र रूप में बैंक द्वारा बनाए रखे गए आपके निर्देशों के सभी अभिलेख और ऐसे अन्य विवरण (किए या प्राप्त किए गए भुगतानों सहित, लेकिन इतने तक की सीमित नहीं हैं), आपके विरूद्ध ऐसे निर्देशों और ऐसे अन्य विवरणों का निर्णायक साक्ष्य समझे जाएंगे।

5. सूचना देने और/या खाते में किए गए लेनदेन/लेनदेनों का समय या उक्त खाते के संबंध में किसी अन्य मामले के संबंध में किसी भी विवाद की स्थिति में, बैंक विवादित लेनदेन का समय और/या प्रामाणिकता और तृतिय पक्ष की धोखाधडी के कारण आपके कार्ड खाते में अनधिकृत लेनदेन के मामले में आपका दायित्व पता लगाने का अधिकार सुरक्षित रखेगा या जहाँ आपने धोखाधडी के लिए योगदान नहीं दिया है, "ग्राहक सुरक्षा - अनधिकृत इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग लेनदेनों में ग्राहकों का सीमित दायित्व" ~~पर आरबीआई परिपत्र में दिए गए दिशानिर्देशों~~ पर बैंक की स्वीकृत बोर्ड नीति" के अनुसार संचालित किया जाएगा। समय-समय पर यथा संशोधित विनियमों में कोई भी बदलाव उस समय बिंदु पर लागू और बाध्यकारी होगा।

समाप्ति

1. ऐक्सिस बैंक किसी भी समय पूर्व सूचना के बिना और कोई भी कारण बताए बिना मील कार्ड याप्रदान की गई किन्हीं भी अन्य सेवाओं को रद्द करने या वापस लेने का अधिकार सुरक्षित रखता है.

2. यदि कार्डधारक अपनी मील कार्ड की सुविधा समाप्त करने का निर्णय लेता है, तो जारी किया गया कार्ड स्वचालित रूप से रद्द हो जाएगा. कार्डधारक को तुरंत अपने कार्ड का उपयोग करना बंद कर देना चाहिए और मील कार्ड नष्ट कर और वापस लौटा देना चाहिए. किसी भी बकाया कार्ड लेनदेन के मामले में, जिसे अभी तक कार्ड खाते से डेबिट नहीं किया गया है, उसे कार्ड में शेष राशि से निकाल दिया जाएगा.हालांकि, कार्डधारक को कोई धनवापसी नहीं की जाएगी.

3. यदि कार्डधारक मील कार्ड का उपयोग समाप्त करने का निर्णय लेता है, तो कार्डधारक ऐक्सिस बैंक को लिखित में 7 दिन से कम नहीं की पूर्व सूचना देगा और कार्ड और कोई अतिरिक्त कार्डधारक कार्ड (यदि आवश्यक नहीं है) चुंबकीय पट्टी के आरपार कई टुकड़ों में काटकर ऐक्सिस बैंक को तुरंत वापस लौटा देगा. इन नियमों और शर्तों की प्रयोज्यता समाप्त होने के बावजूद कार्डधारक द्वारा कार्ड नष्ट किए जाने

के दावे के बाद कार्डधारक सभी कार्ड सुविधाओं और मील कार्ड पर वहन किए गए सभी संबंधित शुल्कों के लिए ज़िम्मेदार होगा. कार्डधारक मील कार्ड पर वहन किए गए सभी संबंधित शुल्कों के लिए ज़िम्मेदार होगा चाहे यह दुरुपयोग / धोखाधड़ी भरे उपयोग का परिणाम हो या नहीं और चाहे बैंक को कार्ड के विनाश के बारे में सूचित किया गया हो या नहीं.

4. मील कार्ड ऐक्सिस बैंक की संपत्ति है और अनुरोध किए जाने पर तुरंत और बेशर्त ऐक्सिस बैंक के अधिकारी को वापस लौटा दिया जाना चाहिए. अपना कार्ड सौंपने से पहले अपने द्वारा बैंक अधिकारी की पहचान स्थापित करना सुनिश्चित करें.

5. ऐक्सिस बैंक तत्काल प्रभाव से मील कार्ड सुविधा समाप्त करने का हकदार होगा और निम्नलिखित में से कोई भी घटना होने पर कार्ड वापस लौटा दिया जाएगा:

i.इसमें निर्धारित नियमों और शर्तों का अनुपालन करने में विफलता.

ii.ऐक्सिस बैंक के साथ किए गए समझौते या वचनबद्धता (आकस्मिक या अन्यथा) के अंतर्गत चूक की घटना.

iii.कार्डधारक का किसी भी ऋणशोधन अक्षमता, दिवालिया कार्यवाही या इसी तरह की प्रकृति की कार्यवाही का विषय बनना.

iv.कार्डधारक का देहान्त.

v. कार्डधारक या नियोक्ता द्वारा मील कार्ड की समाप्ति.

6. कार्ड पर लागू सुविधाओं, नियमों और शर्तों में प्रस्तावित किसी भी परिवर्तन की कार्डधारक द्वारा अस्वीकृति की स्थिति में, कोई भी परिवर्तन प्रभावी होने की तिथि से पहले मील कार्ड ऐक्सिस बैंक को वापस लौटा दिया जाना चाहिए.

7. बैंक को नियोक्ता से कर्मचारी के त्यागपत्र या किसी अन्य कारण से रोजगार की समाप्ति के बारे में कोई सूचना मिलने के बाद मील कार्डमें और क्रेडिट की अनुमति नहीं दी जाएगी. हालांकि कार्डधारक कुल शेष राशि का उपयोग होने तक या कार्ड समाप्त होने तककार्ड का उपयोग जारी रखने तक हकदार होगा.

कानून का अनुपालन

ऐक्सिस बैंक द्वारा प्रदान किया गया मील कार्ड उत्पाद ऐसे नियमों और शर्तों के अधीन है, जैसा कि भारतीय रिज़र्व बैंक समेत नियामकीय और / या सांविधिक प्राधिकरणों द्वारा निर्धारित किया जा सकता है और मील कार्ड से संबंधित प्रावधान नियामकीय आवश्यकता और / या ऐक्सिस बैंक की आंतरिक नीति के अनुसार भिन्न-भिन्न हो सकते हैं. इसमें प्रदान की गई मील कार्ड सुविधा और ये नियम और शर्तें लागू कानूनों और विनियमों के अधीन हैं और किसी भी समय प्रचलित कानून या विनियम के आधार पर

संशोधित या बंद कर दी जाएगी और बैंक ऐसे समय तक किसी भी दायित्व या बंधन के अधीन नहीं होगा या उक्त कार्ड सुविधा का कार्यान्वयन जारी नहीं रखेगाजिस समय उक्त समय बिंदु पर प्रचलित या संशोधित कानून के अनुसार शर्तोंमें संशोधन किया जाएगा. ऐसी स्थिति में, कि किसी समय बिंदु परप्रचलित कानून के पूर्ण अनुपालन के बिना कार्ड सुविधा जारी नहीं रखी जा सकती है, इस समझौते / नियमों और शर्तों को व्यवस्था प्रतिबंधित या निषिद्ध करने वाला संशोधित कानून प्रभावी होने की तिथि से तत्काल समाप्त समझा जाएगा.

शासी कानून और क्षेत्राधिकार

ये नियम और शर्तें और / या लेनदेन भारतीय कानून द्वारा नियंत्रित होंगे और कार्ड के उपयोग से उत्पन्न होने वाले किन्हीं भी दावों या मामलों के संबंध में मुंबई के सभी न्यायालयों का अनन्य क्षेत्राधिकार होगा.